लय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

र्थीनी		विप्रार्थीगण
1. स्नेहलता पत्नी अचलाराम जाति मेघवाल निवासी सरूपे का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।	बनाम	1. मक्का पुत्र सलाह 2. सुमार पुत्र रायधन 3. शिवा पुत्र धना 4. नोजी पत्नी धना 5. अनोपाराम पुत्र धनाराम 6. अमोलख पुत्र चेतन 7. चेला पुत्र चेतन जातियान मेघवाल निवासी सरूपे का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 104/2019 दिनांक : 17.06.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र सरूपे का तला के मौजा सरूपे का तला के खेत खसरा संख्या 908/782 रकबा 18.00 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

( )
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2022/734 - 38 दिनांक 17/06/22

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ।
2. प्रार्थी स्नेहलता पुत्र अचलाराम।
3. विप्रार्थीगण मक्का पुत्र सलाह वगैरह।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धो...ना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.30 16:08:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 104/2019 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

स्नहेलता बनाम मक्का वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थीनी वकील – हुकमसिंह गोदारा
विप्रार्थी संख्या 3 से 5 के वकील – दोष मोहम्मद

निर्णय दिनांक – 17.06.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र सरूपे का तला के मौजा सरूपे का तला के खेत खसरा संख्या 908/782 रकबा 18.00 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीनी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीनी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीनी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थी की ओर अधिवक्ता दोष मोहम्मद आये विप्रार्थी वकील को पत्रावली वास्ते जवाब के कई अवसर देने के बावजूद भी पत्रावली वास्ते कोई जवाब पेश नहीं किया इस हेतु जवाब बंद किया गया। वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीनी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र सरूपे का तला के मौजा सरूपे का तला के खेत खसरा संख्या 908/782 रकबा 18.00 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.06.20 16:08:38 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार धनाऊ को आदेश किया जाता है कि प्रार्थीनी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विवादित बिन्दु पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा